ELECTION PRIORITY

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–खण्डवा (म0प्र0) ::

Phone- 0733-2226161, E-mail-deokhandwa01@gmail.com

क्रमांक–क / सा.नि.शा. / सा.लि. / 2020 / 528 खण्डवा, दिनांक 6 / 08 / 2020

Email

/ / निविदा सूचना / /

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के लिए 05–सहायक प्रोग्रामर / 10–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 01–भृत्य पद हेतु (उच्चकुशल, कुशल, अर्द्धकुशल मेनपावर) की विविध कार्यो के संपादन हेतु अनुभवी आउटसोर्सिंग सर्विसेस एजेंसियों से द्वि–निविदा प्रणाली में एक वर्ष की अवधि के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

विस्तृत निविदा दस्तावेज का मूल्य राशि 500 (राशि पांच सौ मात्र) है जो जिले की वेबसाईट **www.khandwa.nic.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भरी गई निविदा पूर्णता कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति राशि 2,60,000 (राशि दो लाख साठ हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक एफडीआर (सावधि जमा रसीद) के साथ सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। दस्तावेज का मूल्य राशि रूपये 500 / – (राशि पांच सौ मात्र) चालान द्वारा मद संख्या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–02–निर्वाचन–800–अन्य प्राप्तियां में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर विस्तृत निविदा प्रपत्र दिनांक 27.08.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे के पूर्व तक जिला निर्वाचन कार्यालय खण्डवा से प्राप्त किये जा सकेंगे।

निविदा मय समस्त सहपत्रों के दिनांक 27.08.2020 को अपरान्ह 03.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय (सामान्य निर्वाचन) **खण्डवा की लेखा शाखा** में प्राप्त हो जाना चाहिए। निविदा दिनांक 27.08.2020 को अपरान्ह 04.00 बजे समिति एवं उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां एवं निर्देश कार्यालय की उपरोक्त वेबसाईट www.khandwa.nic.in पर उपलब्ध हैं।

जि.नि.अधि. द्वारा अनुमोदित :–

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–खण्डवा

पृ.क्रमांक–क / सा.नि.शा. / सा.लि. / 2020 / 529 खण्डवा, दिनांक 6 / 08 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर भेजते हुए लेख है कि कृपया विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में **निःशुल्क प्रकाशित** कराने का कष्ट करें।
03. आयुक्त इन्दौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ।
04. **कलेक्टर.............................समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।**
05. अनुविभागीय अधिकारी, खण्डवा, पुनासा, हरसूद, पंधाना की ओर सूचनार्थ।
06. तहसीलदार खण्डवा, पुनासा, हरसूद, पंधाना, खालवा की ओर उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर निविदा सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु अग्रेषित।
07. कार्यालयीन लेखा शाखा (सामान्य निर्वाचन) की ओर जिला निर्वाचन कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
08. जिला नाजिर, कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन प्रतिवेदन भिजवाने हेतु अग्रेषित।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–खण्डवा
06/8/2020

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला–खण्डवा

आउटसोर्सिंग के आधार पर उच्चकुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल सेवाएं लेने हेतु

एजेन्सी के खुली निविदा के माध्यम से चयन हेतु

निविदा

निविदा प्रपत्र

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के निर्वाचन कार्यालय (सामान्य निर्वाचन) तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के लिए 05–सहायक प्रोग्रामर/10–डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 01–भृत्य पद पर (उच्चकुशल, कुशल, अर्द्धकुशल मेनपावर) कार्यों के सम्पादन हेतु अनुभवी आउटसोर्सिंग सर्विसेस एजेंसियों से द्वि-निविदा प्रणाली में एक वर्ष की अवधि के लिये निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

2. निविदा कार्य के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य का नाम	धरोहर राशि	विस्तृत निविदा प्रपत्र क्रय करने की अवधि	भरी हुई निविदा प्रदाय एवं खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4
उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल सेवाएं प्रदाय करने हेतु।	**2,60,000** (कर्मचारियों के लगभग एक माह के वेतन के बराबर की राशि)	**27** अगस्त 2020 (अपरान्ह **03.00** बजे के पूर्व तक)	भरी हुई निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक **27** अगस्त **2020** अपरान्ह **03.00** बजे तक तकनीकी बिड खोलने की तिथि दिनांक **27** अगस्त **2020** अपरान्ह **4.00** बजे वित्तीय बिड खोलने की तिथि दिनांक **27** अगस्त **2020** अपरान्ह **4.00** बजे तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् (निविदा समिति के समक्ष समस्त तकनीकी बिड खोले जायेंगे एवं गठित समिति के परीक्षण उपरांत उनकी अनुशंसा के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदा संस्था के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि पृथक से तय की जायेगी जिसकी सूचना तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों को ई-मेल/दूरभाष/स्पीडपोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी)

3. विस्तृत निविदा प्रपत्र दिनांक **27** अगस्त **2020** तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा की सामान्य निर्वाचन शाखा से राशि रूपये **500/-** का भुगतान कर क्रय किये जा सकते हैं।

4. सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदायें भरने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें**,** शर्तें एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही निविदा भरकर जमा करें। निविदा के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज को संलग्न चेकलिस्ट से भी मिलान कर लें।

निविदा प्रपत्र भरने के सामान्य निर्देशः-

4.1 निविदा दो प्रस्ताव (बिड) प्रणाली सिस्टम में भरी जायेगी:-

- तकनीकी प्रस्ताव
- वित्तीय प्रस्ताव

4.1.1 ऐजेन्सी द्वारा दोनों प्रस्ताव पृथक-पृथक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा की सामान्य निर्वाचन शाखा में जमा किये जायेंगें। जिस लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उस लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "तकनीकी प्रस्ताव" एवं "वित्तीय प्रस्ताव" उल्लेखित किया जावे।

4.2 **तकनीकी प्रस्तावः-**

4.2.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र "अ"को पूर्णकर (प्रपत्र-**1** (भाग-**1**, भाग-**2**, भाग-**3**), प्रपत्र-**2**, प्रपत्र-**3**, प्रपत्र-**4** भरकर प्रस्तुत करना होगा।

4.2.2 बिड के साथ धरोहर राशि के रूप में रूपये **2,60,000** (दो लाख साठ हजार मात्र) **बैंक एफडीआर (स्थायी जमा निधि)** कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।

4.2.3 कंडिका **5** के अंतर्गत वर्णित पात्रता शर्तो अनुसार प्रपत्र एक भाग-**2** अनुसार उल्लेखित सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

4.2.4 तकनीकी बिड" कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा निर्धारित तकनीकी बिडफार्म भरकर चाहे गये समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र कण्डिका **4.1.1** एवं **4.2.2** अनुसार दिनांक **27** अगस्त **2020** को समय अपरान्ह **3.00** बजे तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा की सामान्य निर्वाचन शाखा में जमा करना होगा।

4.3 **वित्तीय प्रस्तावः-**

4.3.1 वित्तीय प्रस्ताव में निविदाकार संस्था सेवायें प्रदाय करने हेतु उपलब्ध कराये गये मैनपावर के कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक (जो लागू हो) पर सेवा शुल्क की दर प्रस्तावित करेगी। (निर्धारित प्रपत्र-ब)

4.3.2 सेवा शुल्क दर की गणना पारिश्रमिक के प्रतिशत के रूप में की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में कोई भी दर स्वीकार्य नहीं होगी।

4.3.3 सेवा दर समान रूप से सभी श्रेणी की सेवाओं (उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल) पर लागू होगी।

4.3.4 संस्थान द्वारा वित्तीय प्रस्ताव संस्थान के लेटर हेड में सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार्य योग्य होगा।

वित्तीय बिड दिनांक **27** अगस्त **2020** को समय अपरान्ह **3.00** बजे तक कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य निर्वाचन खण्डवा की लेखा शाखा में जमा करना होगा।

4.4 निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवररायटिंग/ काटछांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।सशर्त अथवा अधूरे भरे हुये निविदा प्रपत्र मान्य नहीं किए जाएंगे।

4.5 दिनांक **27** अगस्त 2020 को अपरान्ह **4.00** बजे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के द्वारा गठित निविदा समिति के समक्ष समस्त तकनीकी बिड खोले जायेंगे एवं गठित समिति के परीक्षण उपरांत उनकी अनुशंसा के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदा संस्था के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि पृथक से तय की जायेगी जिसकी सूचना तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों को ई-मेल/दूरभाष/स्पीडपोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी।

4.6 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सके।

5. **निविदा हेतु पात्रता की आवश्यक अर्हता/शर्तें:-**

5.1 शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी उपक्रम एवं मध्यप्रदेश शासन के संबंधित विभाग/वैधानिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत, प्रोप्रायटरी, पार्टनरशिप, कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत/लायसेंस प्राप्त निविदाकार आउटसोर्स एजेन्सी ही उक्त निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

5.2 निविदाकार ऐजेन्सी का गत तीन वर्षों का अर्थात वर्ष 2017–2018 2018–19, 2019–20, वार्षिक टर्नओवर न्यूनतमरू.**50.00**लाख (रू. पचास लाख मात्र) प्रतिवर्ष होना चाहिये, जिसकी पुष्टि हेतु सी.ए. का प्रमाणपत्र एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज (सत्यापित प्रतियों सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5.3 निविदाकर्ता एजेन्सी को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशास./निगम/मण्डल कार्यालयों द्वारा ब्लेकलिस्टेड अथवा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो, इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

5.4 संबंधित फर्म के प्रोपराइटर के नाम से पैन कार्ड की छायाप्रति।

5.5 ई.पी.एफ.पंजीयन क्रमांक प्रमाण पत्र विगत छह माहों के चालान एवं ई.सी.आर. फाईल्स प्रस्तुत करना होगा।

5.6 ई.एस.आई.सी. पंजीयन क्रमांक प्रमाण पत्र एवं विगत छह माहों के चालान तथा अंतिम आनलाईन जमा रिर्टन की प्रति।

5.7 विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2017–2018 2018–19, 2019–20) की आडिटेड बेलेंस शीट।

5.8 श्रम कानूनों के अतंर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने संबंधी निर्धारित प्रारूप में घोषणापत्र।

5.9 निविदाकार संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रस्तुत की गई सेवाकर विवरणी की छाया प्रति।

5.10 श्रम कल्याण मण्डल को विगत वर्ष जमा किये गये सेवा शुल्क का विवरण।

5.11 बिड के साथ निविदाकार एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा ऐजेन्सी की पदमुद्रा सहित सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। सत्यापित प्रतिलिपियां असत्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसकी परफार्मेस गारंटी, धरोहर राशि राजसात की जाकर यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

5.12 निदिदा के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची/चेकलिस्ट (प्रपत्र एक भाग-**2)** अनुसार होगी।

6. **सफल निविदाकार/संस्था के लिये सेवा शर्तें**

6.1 सफल निविदाकार को वर्ष में होने वाले कार्य के कुल अनुमानित लागत की **10** प्रतिशत राशि परफारमेंस गारंटी के रूप में धरोहर राशि का समायोजन करते हुये शेष राशि का बैंकड्राफ्ट/FDR **कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा"** के नाम देय जो **स्टेट बैंक आफ इण्डिया ब्रांच** सिविल लाईन खण्डवा में देय होगा के रूप में जमा करना होगी। यह अनुबंध की अवधि की समाप्ति के **180** दिन बाद तक की अवधि या जब तक कि उस के लंबित बिलों का निपटान नहीं हो जाता तब तक के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा" के पास जमा रहेगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। निविदाकार संस्था के मेनपावर द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा की सामग्री के नुकसान, क्षति, दुरूपयोग होने की स्थिति में हर्जानापूर्ति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के हित में इसी धरोहर राशि से की जायेगी।

6.2 सफल निविदाकार को उसकी निविदा मान्य किये जाने का आदेश जारी होने की दिनांक से **एक सप्ताह की अवधि में** कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के साथ अनुबंध करते हुये पर फारमेंस गारंटी जमाकर अधिकतम **15**

दिवस की समय सीमा में मेनपावर उपलब्ध कराना होगा। अनुबंध पर स्टाम्प आदि पर होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा व्यय किया जावेगा।

6.3 संस्था द्वारा प्रदाय किये गये मैनपावर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक की दर का भुगतान किया जाएगा। संस्था द्वारा प्रतिमाह कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा में प्रस्तुत देयक में अदा किये गये पारिश्रमिक का विवरण देना होगा।

6.4 सफल निविदाकार श्रमिकों से संबंधित एवं प्रभावशील सभी श्रम नियमों का पालन करेगा एवं समस्त वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित पंजियों का संधारण संस्था को अनिवार्यतः करना होगा एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा चाहे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

6.5 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा सेवाओं की आवश्यकता के आधार पर कार्य की प्रकृति अनुसार एजेन्सी को सेवा उपलब्ध कराए जाने हेतु मेनपावर की मांग करेंगे । तत्पश्चात एजेन्सी अधिकतम **15** दिवस के भीतर मेनपावर का पैनल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा को उपलब्ध कराएगा**,** जिसमें से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा उपयुक्त व्यक्ति का चयन करेगा।

6.6 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य का संपादन न किये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा किसी अन्य प्राधिकृत संस्था से कार्य का संपादन तात्कालिक रूप से कराने को स्वतंत्र होंगे। परंतु ऐसी व्यवस्था में होने वाले व्ययों के भुगतान का उत्तरदायित्व सफल निविदाकार पर होगा जो कि उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि से वसूली योग्य होगा।

6.7 कार्य पर रखे गये अपने समस्त मैनपावर की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये सभी वैधानिक उपाय एजेन्सी द्वारा ही सुनिश्चित किये जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा का इस संबंध में कोई उत्तरदयित्व नहीं होगा।

6.8 यह निविदा कार्य कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष के लिये (**12**माह) ही मान्य होगा। ऐजेन्सी का कार्य संतोष प्रद होने की स्थिति में एजेन्सी का कार्यकाल पूर्व अनुबंधित दरों पर दोनो पक्षों की सहमति से **01** वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

6.9 एजेन्सी द्वारा निविदा प्रपत्र व अनुबंध में दर्शित शर्तो का उल्लंघन किया जाना साबित होने पर अथवा एजेन्सी के मैनपावर द्वारा कार्यालयीन समय पर अभद्रव्यवहार**,** कार्य में लापरवाही**,** अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा संस्था पर निम्न कार्यवाही की जा सकेगीः-

1. रू. न्यूनतम **2000** से अधिकतम **10,000/-** तक का क्षतिपूर्ति प्रति त्रुटि का अधिरोपण।
2. संस्था को संबंधित कर्मचारी को सेवा से हटाने हेतु निर्देश दिये जाना।
3. निविदा निरस्त करना तथा परफारमेंस गारंटी राजसात करना।

6.10 एजेन्सी यह कार्य अनुबंध एवं निविदा के अनुसार स्वयं करने हेतु बाध्य है एवं किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य संस्था/उपठेकेदार/संगठन को नही दे सकेगा अन्यथा इसे कंडिका **6.9** के अनुसार कार्यवाही करते हुये साथ ही उसकी परफार्मेस गारंटी राजसात कर ली जायेगी।

6.11 श्रम कल्याण मण्डल को दिये जाने वाला सेवा शुल्क सफल निविदाकार/एजेन्सी के द्वारा प्रस्तावित सेवा शुल्क की दरों मे शामिल होगा। पृथक से इस हेतु कोई भुगतान नहीं किया जाऐगा।

6.12 सफल निविदाकार/एजेन्सी कोई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.एस. विभाग से नियमानुसार सावधिक निरीक्षण करवाना होगा एवं निरीक्षण का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

7. भुगतान प्रक्रिया:-

7.1 एजेन्सी के मैनपावर को अदा किये जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान ऐजेन्सी द्वारा संबंधित के खाते में किया जाना अनिवार्य होगा।

7.2 एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये मैनपावर की उपस्थिति **कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा** प्रतिमाह की **3** तारीख तक प्रेषित करेगे, जिसके आधार पर एजेन्सी को प्रतिमाह की **5** (पाच) तारीख तक अपने मैनपावर का पारिश्रमिक भुगतान करना अनिवार्य होगा।

7.3 एजेन्सी द्वारा अपने समस्त मैनपावर को मासिक पारिश्रमिक/अन्य दायित्व, समस्त भुगतान किए जाने के उपरांत एजेन्सी द्वारा अपना मासिक देयक प्रतिमाह की **10** तारीख तक **कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा** को प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि एजेन्सी शासन के नियमानुसार पूरी जानकारी/वैधानिक कटौत्रा प्रति व्यक्तिवार जमा नहीं करती है तो इस हेतु उसकी नियमानुसार सम्पूर्ण वैधानिक जिम्मेवारी एजेन्सी की ही होगी। एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह **10** तारीख तक प्रस्तुत करने वाले देयक के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्नकर भुगतान हेतु **कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा** को प्रेषित की जावेगी, जिसके आधार पर परीक्षणों उपरांत एजेन्सी को भुगतान किया जावेगा।

7.4 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा एजेन्सी को प्रस्तुत देयक में से नियमानुसार टीडीएस कटौत्राकर भुगतान किया जावेगा।

7.5 एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिड निविदा प्रपत्र-ब में उल्लेखित दरों के अतिरिक्त सेवाकर शासकीय नियमों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निंर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा भुगतान किया जावेगा।

7.6 एजेन्सी प्रतिमाह उपलब्ध कराये गए मैनपावर के लिये जमा किया गया कर्मचारी राज्यबीमा (ई.एस.आई.सी.) अंशदान का विवरण प्रस्तुत देयक के साथ (जमा किये गये फार्म की प्रति एवं चालान की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुये) प्रस्तुत करेगी।

7.7 एजेन्सी प्रतिमाह उपलब्ध कराये गये मैनपावर की जमा की गई ई.पी.एफ. अंशदान के चालान की प्रति प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न करेगी।

7.8 एजेन्सी प्रतिमाह सर्विस टैक्स जमा करने संबंधी विवरण की प्रति प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न करेगी, जिसके आधार पर सर्विस टेक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.9 संलग्न दस्तावेज चेकलिस्ट (प्रपत्र-एक) अनुसार समस्त अर्हता पाए जाने पर ही संबंधित एजेन्सी का वित्तीय बिड खोला जावेगा।

7.10 निविदा प्रपत्र सफल निविदाकार से अनुबंध का एक भाग होगा एवं इसकी समस्त शर्तें अनुबंध में शामिल मानी जाएंगी

7.11 प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन को सरल तथा प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा निविदाकर्ताओं से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकते है। निविदाकर्ताओं को स्पष्टीकरण से संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा में लिखित रूप से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा को उपलब्ध कराना होगा।

7.12 सभी निविदाकार को प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों पर पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना होगा ओर उसी अनुसार पृथक सूची बनाई जाकर संलग्न प्रमाण का पृष्ठ क्रमांक भी दर्शित करना होगा।

8. समस्याओं का निराकरण:-

एजेन्सी को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा में कार्य करने में यदि कोई कठिनाई हो रही है तो उसके समाधान के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल से निर्देश प्राप्त करते हुये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

9. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा चाहे गए मेनपावर:-

क्र.	पद	योग्यता	अनुमानित संख्या
1	सहायक प्रोग्रामर	किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से एमसीए/एमएससी (गणित/सांख्यिकी/ इलेक्ट्रॉनिक विषय) की स्नाकोत्तर उपाधि के साथ पीजीडीसीए। या किसी मान्यता प्राप्त इंजीनीयरींग महाविद्यालय से बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स) में उपाधि परीक्षा उत्तीण।	05
2	डाटा एंट्री ऑपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंको सहित स्नातक। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेशन/प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 10000 Key Depression प्रति घंटा की गति हो।	10
3	भृत्य	मान्य प्राथमिक बोर्ड से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण ।	01

नोट – उपरोक्त पद संख्या वर्तमान में प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप दर्शायी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा द्वारा तात्कालिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यथासमय मेनपावर की संख्या एवं अवधि में आवश्यकतानुसार कमी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

10. विवाद का निपटारा:-

10.1 कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा में कार्य करने के लिये संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मैनपावर (व्यक्तियों) की पहचान तथा चरित्र का सत्यापन कराने का दायित्व संस्था पर होगा।

10.2 किसी अपरिहार्य या आकस्मिक कारण जैसे दैवीय आपात की स्थिति में एजेन्सी द्वारा नियोजित व्यक्ति को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा में कार्य के दौरान हुई छति के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा का उत्तरदायित्व नहीं होगा। सामान्य स्थिति में नियोजित कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं उसकी सुरक्षा का दायित्व एजेन्सी का होगा। कार्य के दौरान हुई क्षति के लिये ऐसे नियोजित व्यक्ति के प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10.3 निविदा कार्य से संबंधित अनुबंध के अनुसार कार्य/उत्तरदायित्वों के निष्पादन में किसी भी तरह की समस्या अथवा विवाद, उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के समक्ष समाधान तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खण्डवा के निर्णय से असंतुष्ट होने पर एजेन्सी को एक सप्ताह की समयावधि के अंदर अपना अभ्यावेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। ऐसे विवाद के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी तथा अंतिम होगा।

10.4 सभी विवादों के विचारण का क्षेत्राधिकार "जिला न्यायालय, खण्डवा" होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–खण्डवा
6/8/2021